न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4117–तीन/2015 – विरूद्व आदेश दिनांक 18–12–2015– पारित व्दारा तहसीलदार , नलखेड़ा जिला आगर – प्रकरण कमांक 200 बी 121/2015–16

1– सुरेश पुत्र लक्ष्मीनारायण
2– राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण
3– रणछोड़ पुत्र रामरतन
ग्राम बगावद तहसील नलखेड़ा
जिला आगर मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्व

श्रीकॉंत पुत्र भागीरथ
ग्राम बगावद तहसील नलखेड़ा
जिला आगर मध्य प्रदेश --- अनावेदक

(श्री सुरेश कुमार सातपुते अभिभाषक – आवेदकगण)

आ दे श

(दिनांक 2 जनवरी 2016)

तहसीलदार , नलखेड़ा जिला आगर द्वारा प्रकरण कमांक 200 बी 121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 18–12–2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

2- प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार
नलखेड़ा को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि ग्राम बगावद में वाणगंगा
नदी पर लगभग आठ साल से पाईप लायन डालकर फसल की
सिंचाई करता आ रहा है किन्तु दिनांक 22-11-15 को रात्रि में
पाईप से पानी कम आने लगा, जब प्रातः पाईप लायन चेक की गई
तो पाईप लाईन टूटी पाई गई। पाईप लायन सुधारने मजदूर लेकर
गया तो अनावेदकगण ने पाईप लायन जोड़ने से मना कर दिया एंव
लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गये। मौके पर फसल में
नुकसान हो रहा है इसलिये पाईप लायन जोड़ने की सहायता दी
जावे। तहसीलदार ने दिनांक 6-12-15 को स्थल निरीक्षण किया
तथा मौके पर 20 फीट पाईप लायन टूटी हालत में पाई।
तहसीलदार ध्दारा प्रकरण कमांक 200 बी 121/2015-16 में
अंतरिम आदेश दिनांक 18-12-15 को अनावेदक की फसल को
बचाने के उद्धेश्य से निर्देश दिये कि राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी
मौके पर पाईप लायन जोड़े जाते समय उपस्थित रहे यदि
आवेदकगण या उसके कर्मचारी ध्दारा कोई व्यवधान उत्पन्न किया
जाता है अथवा पाईप लायन जोड़ देने के वाद तोड़-फोड़ की जाती
है तो पुलिस बल की सहायता ली जावे। प्रकरण में आवेदक को
जबाव प्रस्तुत करने हेतु पेशी 29-12-15 नियत की। तहसीलदार के
इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।'

3/ निगरानी मेमो के तथ्यों पर आवेदकगण के अभिभाषक
के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव
उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार
नलखेड़ा ने पाईप लायन टूटने एंव आवेदकगण ध्दारा अनावेदक की
फसल में पाईप लायन से पानी ले जाने से रोकने की शिकायत

प्राप्त होने पर सत्यता की जांच के लिये उभय पक्ष की उपस्थिति में दिनांक 6-12-15 को स्थल निरीक्षण किया है एंव शिकायत सत्यापन में सही पाये जाने जाने पर अंतरिम आदेश दिनांक 18-12-15 से अनावेदक की फसल बर्बाद न हो, इस उद्धेश्य को ध्यान में रखकर पाईप लायन जुड़वाने एंव फसल तक पानी पहुंचवाने की अंतरिम व्यवस्था की है। अनावेदकगण को अपना पक्ष रखने के लिये तहसीलदार नलखेड़ा ने पेशी 29-12-15 नियत की है परन्तु तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण ने अपना पक्ष न रखते हुये दिनांक 29-12-15 को निगरानी प्रस्तुत की है जबकि अनावेदकगण के समक्ष तहसीलदार के यहॉ अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार नलखेड़ा व्दारा प्रकरण कमांक 200 बी 121/2015-16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18-12-2015 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर